

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.नं - 56...../2024

लादकी पत्नी स्व. गनीराम जाति लोहार निवासी सात्यु तहसील तारानगर जिला चूरु।

यनाम

- प्रार्थनी -

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर जिला चूरु।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

- अप्रार्थी -

निर्णय

दिनांक 15.02.2024

प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थनी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा सात्यु तहसील तारानगर के खसरा सं. 738 तादादी 4.1729 हेक्ट., खसरा 850 तादादी 9.1676 हेक्ट. कुल तादादी 13.3405 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थनी का नाम लादोदेवी अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थनी का नाम लादकी सही है। प्रार्थनी के आधार कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थनी का नाम लादकी है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थनी को कृषि ऋण, फसल येचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थनी जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहती है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थनी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरुस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा सात्यु तहसील तारानगर के खसरा सं. 738 तादादी 4.1729 हेक्ट., खसरा 850 तादादी 9.1676 हेक्ट. कुल तादादी 13.3405 हेक्ट. में प्रार्थनी का नाम लादकी किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दिये प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट पटवार हल्का सात्यु के अनुसार प्रार्थनी का नाम लादकी राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाना चाहती है। अब प्रार्थनी अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थनी लादोदेवी के स्थान पर लादकी करवाना चाहती है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थनी का नाम लादोदेवी दर्ज है। अतः प्रार्थनी लादोदेवी के स्थान पर लादकी दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि पटवार हल्का सात्यु की रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया कृषि भूमि रोही मौजा सात्यु तहसील तारानगर के खसरा सं. 738 तादादी 4.1729 हेक्ट., खसरा 850 तादादी 9.1676 हेक्ट. कुल तादादी 13.3405 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि लादोदेवी Delete कर इसके स्थान पर लादकी दुरुस्त किया जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(संदीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड तारानगर (चूरु)